संख्या-39/2018/1141/सैंतीस-2-2018-1(26)/10

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
हाथरस,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 मार्च, 2018

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-17 में स्वीकृत पशुचिकित्सालय सदर-हाथरस (कलवारी) के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-444/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-17/2011-12, दिनांक-19.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर.आई.डी.एफ.-17 में स्वीकृत पशुचिकित्सालय सदर-हाथरस (कलवारी) के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-15-'द' श्रेणी पशु औषधालय का उच्चीकरण करते हुए पशुचिकित्सालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य में सम्भावित बचतों से लेखाशीर्षक 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशुचिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ.(जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में रू0-9.43 लाख (रूपये नौ लाख तैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रदान करने के साथ ही लेखाशीर्षक 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशुचिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ.(जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-9.59 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-19.02 लाख (रूपये उन्नीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस योजना/मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है उस योजना/मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। विचलन की दशा में इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशुचिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ.(जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-यू.ओ.-370/दस-2018, दिनांक-25.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>प0सं0-39/2018/1141(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in